न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 47/2011
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 19.12.2024

1. नानूलाल दत्तक पुत्र रघुनाथ जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदूं
2. बद्री पुत्र देवकरण पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदूं (फौत)
   2/1. गणेश पुत्र बद्री
   2/2. सीताराम पुत्र बद्री
   2/3. कमला पत्नी बद्री समस्त जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. काना पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदूं
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा वकील प्रार्थी
श्री प्रेम चन्द शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय दिनांक:– 19.12.2024

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री नानूलाल दत्तक पुत्र रघुनाथ ने आराजी खसरा नम्बर 213, 245, 246,251, 252 कुल किता 05 कुल रकबा 09 बीघा 10 विस्वा व खाता संख्या 35 की आराजी खसरा नम्बर 243, 247/1, 247/2, कुल किता 03 कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा हिस्सा 1/2 वाके ग्राम कंवरपुरा, तहसील फागी,

लगातार.....2

(Rakesh)
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

जिला जयपुर हाल जिला दूदू बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पैतृक आराजी एवं उत्तराधिकारी के आधार पर पेश किया है एवं प्रार्थी ने निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा पर्चा सैटलमेन्ट के पूर्व से ही चला आ रहा है प्रार्थी व उसके पिता रघुनाथ के विधिक कब्जे मे कभी किसी व्यक्ति ने कोई हस्तक्षेप नही किया है अतः प्रार्थी को धारा 63 (1)(4) के तहत भी खातेदारी अधिकारी निहित हो चूके है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान अप्रार्थीगण प्रार्थीगण/वादीगण के उक्त कानूनी हकों के विपरीत जाकर उक्त सहदायिका सम्पति को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान – ए – वाद उक्त आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतनामा हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द शर्मा उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी फर्जी रघुनाथ का दत्तक पुत्र बनकर मान्य न्यायालय के समक्ष वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा रघुनाथ का 6 व 7 उतराधिकारी या दत्तक पुत्र घोषित नही किया है। इसलिये प्रार्थी जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से रघुनाथ का गोद पुत्र या उतराधिकारी घोषित नही करा लेता तब तक रघुनाथ का दत्तक पुत्र बनकर प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है जिसे खारीज फरमाया जावें।

3. प्रकरण मे उभपक्षकारान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

लगातार.....................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते
जिला – दूदू

प्रस्तुत किया गया है। सम्वत 1988 मिसल हकीयत बन्दोवस्त पर्चा रघुनाथ वल्द बद्री कौम जाट के रहा है। जबकि सम्वत 2011 मे पर्चा प्रतिवादीगण के नाम आ गया। मान्य सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी नानूलाल को रघुनाथ का दत्तक पुत्र भी माना गया है। प्रार्थी के पिता रघुनाथ की अन्य आराजी प्रार्थी नानूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे आ गई। प्रार्थी द्वारा अपने मूल पिता छोगा द्वारा प्राप्त होने वाली आराजी का अपने भाईयों के नाम जरिये हकत्याग पत्र कर दिया है। रघुनाथ द्वारा प्रार्थी नानूलाल को जरिये लिखावट दिनांक 28.10.1975 के द्वारा अपना गोदपुत्र मानकर प्रार्थी को गोद लेना अंकित किया है। सम्वत 1988 मे पर्चा रघुनाथ के नाम से आया तथा जबकि उक्त आराजी का पर्चा सम्वत 2011 मे अप्रार्थीगण के नाम आया है। इस परिवर्तत के सम्बन्ध मे कोई आदेश नही है। प्रार्थी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है अगर घोषणा के वाद मे प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा नही जारी की जायेगी को उक्त विवादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण अन्य दिगर व्यक्तियों को बैचान कर देगें। अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया की प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा सं0 6 मे रघुनाथ के पिता का नाम रघुनाथ पुत्र बद्री उर्फ बिरधा बताया है। सम्वत 2011 मे पर्चा मौके पर कब्जेनुसार जारी हुआ है अगर उक्त पर्चा गलत आया है तो रघुनाथ ने 40 वर्ष तक कोई आपत्ति जाहिर क्यो नही की। सम्वत 1988 मे जारी मिसज हकीयत के ख0न0 व सम्वत 2011 के पर्चा मे खसरा नम्बर चैंज है। मान्य सिविल न्यायालय ने अपने डिकी दिनांक 17.11.2012 मे राजीनामा को डिकी का भाग माना है। प्रार्थी अन्य वाद मे दत्तक पुत्र नही माना गया है। इसलिये लिखावट के आधार पर प्रार्थी को दत्तक

लगातार..................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

पुत्र नही माना जा सकता है। सम्वत 2011 मे जो पर्चा जारी हुआ है वह अन्य खातेदारों के साथ आया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वाद मे अन्य खातेदारान को पक्षकार कायम नही किया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने पुनः मे बताया की दिनांक 28.10. 1975 लिखावट गोदपुत्र पर अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही होना चाहिये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कभी भी दावा पेश किया जा सकता है। सम्वत 2011 मे जो पर्चा जारी हुआ है उसके अन्य खातेदारान से मेरा कोई झगडा व अनुतोष नही है इसलिये अन्य खातेदारान को पक्षकार कायम नही किया है।उ.

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किया :–

1. आर0आर0टी0 2015 (1) पेज सं0 633
2. आर0आर0टी0 2015 (11) पेज सं0 976
3. आर0आर0टी0 2018 (1) पेज सं0 692
4. आर0आर0टी0 2014 (11) पेज सं0 1168
5. आर0आर0टी0 2009 (11) पेज सं0 1393
6. आर0आर0टी0 2011 (1) पेज सं0 276
7. आर0आर0टी0 2013 (1) पेज सं0 123
8. आर0आर0टी0 2016 (11) पेज सं0 1323

4. प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

5 प्रकरण के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधानों का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा – 212 के प्रावधान का उद्वाहरण इस प्रकार है।–

व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबन्ध– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ – पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्व हो जाये कि:–

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही सम्बन्धित है उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उदेश्यों को विफल करने के अनुक्रम उक्त सम्पति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है। तो न्यायालय अस्थाई व्यादेश ा कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू, जिला–दूदू

धारा 212 का विश्लेषण निम्ननुसार है।:–

इन उपचारों की मांग करने वाले प्रार्थी को निम्न दो शर्ते शपथ पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य में साबित करनी होंगी।

(क) विवादग्रस्त सम्पति को किसी पक्षकार द्वारा–
1. दुर्व्ययन करने
2. उसे नुकसान/हानि पहुँचाने
3. अन्य संक्रान्त किये जाने (अन्तरित करने) का भय या खतरा है, या

(ख) ऐसे विवाद का कोई पक्षकार, यदि उक्त सम्पति को न्याय के उदेश्यों को विफल करने के अनुक्रम में–
1. हटाने (to remove) या
2. व्ययन करने (निपटाने (to dispose of) की 1. धमकी देता है या, 2. ऐसा आशय (नियत) रखता है।, 3. तो उपरोक्त (क) या (ख) में से वर्णित दो शर्तो में से किसी एक का प्रमाण होने पर।

6 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका उद्वाहरण इस प्रकार है।–

आदेश 39 का नियम 1 उन मामलों का उल्लेख करता है जिनमे एक अस्थाई व्यादेश स्वीकार किया जा सकता है। जब कि नियम 2 में संविदा – भंग की पुनरावृति या जारी रखना अवरूद्व करने (रोकने) के लिये व्यादेश स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है।

7. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रंकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 4 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका उद्वाहरण इस प्रकार है।–

आदेश 39 नियम 4 व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त (प्रभावहीन) उसमे फेरफार (परिवर्तन) या उसे अपास्त करने की व्यस्था करता है।

लगातार.....................6

उपखण्ड अधिकारी, जिला–चूरू

अस्थाई व्यादेश बाबत स्थापित सिद्वान्त

8. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम आदेश – 39 नियम 01 व नियम 02 के प्रावधान के उदेश्य को समझना उचित प्रतीत होता । इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AIRONLINE 1990 SC 156 उनवान Wander Ltd. Anr.vs Antox india P. Ltd. मे दिनांक 26.04.1990 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के प्रावधान के उददेश्य के सम्बन्ध मे दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। अस्थाई व्यादेश के स्थापित सिद्वान्त निम्नानुसार है।–

अस्थाई व्यादेश देना या न देना तीन स्थापति सिद्वान्तों पर निर्भर करता है–

1. क्या प्रार्थी ने प्राथमिक दृष्ट्या मामला प्रस्तुत किया है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष मे है(अर्थात यदि व्यादेश नही किया जाता है तो अधिकतर असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को)
3. क्या प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। ये तीनों शर्ते संयुक्त रूप से पुरी होने पर ही प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई व्यादेश जारी किया जा सकता है।

अस्थाई व्यादेश देने के लिए दशायें या परिस्थितियॉ (आदेश 39 नियम 1) – नियम 1 मे खण्ड (क), (ख) और (ग) में निम्नलिखित तीन परिस्थितियॉ या दशायें बताई गई है। जिनमे से किसी एक मे न्यायालय अस्थाई व्यादेश या ऐसे अन्य आदेश दे सकेगा (जो अस्थाई आदेश के समान स्वरूप के होगे)

(क). वाद मे कोई सम्पति विवादग्रस्त है। उस सम्पति को किसी भी पक्षकार द्वारा उसका दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने, अन्य संक्रान्त करने का खतरा है। अथवा–

(ख). प्रतिवादी कपट से अपने लेनदारों (ऋणदाताओं) को वंचित करने के लिए अपनी सम्पति को हटाने, व्ययनित करने (निपटाने) की धमकी देता है

लगातार.....7

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

या ऐसा आशय (इरादा) रखता है।

(ग). प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त सम्पति से बे कब्जा करने धमकी देता है–या उस सम्पति के बारे मे अन्य कोई क्षति पहुॅचाने की धमकी देता है।

Prima Facie Case (प्रथम दृष्टया मामला)

9. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 39 नियम 01 व नियम – 02 के प्रावधान में निहित सिद्वान्त के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 *AIR SCW* 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रकिया संहिता – 1908 के आदेश 39 नियम 01 व नियम 02 के प्रावधान में निहित सिंद्वान्त की विस्तृत विवेचना की है। जिसका प्रासंगिक पैरा का उद्वाहरण इस प्रकार है।–

> *5. Therefore, the burden is on the plaintiff by evidence aliunde by affidavit or otherwise that there is "a prima facie case" in his favour which needs adjudication at the trial. The existence of the prima facie right and infraction of the enjoyment of his property or the right is a condition for the grant of temporary injunction. Prima facie case is not to be confused with prima facie title which has to be established, on evidence at the trial. Only prima facie case is a substantial question raised, bona fide, which needs investigation and a decision on merits.*

अन्तर्गत धारा 212 के खण्ड (क) व (ख) मे दी गई दो शर्तो मे एक का पुरा होना अनिवार्य है।

Irreparabale Damage (अपूर्णनीय क्षति)

10. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 *AIR SCW* 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत अपूर्णनीय क्षति की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

5. (.....) Satisfaction that there is a prima facie case by itself is not sufficient to grant injunction. The Court further has to satisfythat non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession. Irreparable injury, however, does not mean that there must be no physical possibility of repairing the injury, but means only that the injury must be a material one, namely one that cannot be adequately compensated by way of damages.

Balance of Convenience (सुविधा का सन्तुलन)

11. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 AIR SCW 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान मे निहित सिद्धांत सुविधा का संतुलन की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

5. (.....) The third condition also is that "the balance of convenience" must be in favour of granting injunction. The Courtwhile granting or refusing to grant injunction should exercisesound judicial discretion to find the amount of substantial mischief or injury which is likely to be caused to the parties, if the injunction is refused and compare it with that it is likely to be caused to the other side if the injunction is granted. If on weighing competing possibilities or probabilities of likelihood of injury and if the Court considers that pending the suit, the subject-matter should be maintained in status quo, an injunction would be issued. Thus the Court has to exercise its sound judicial discretion in granting or refusing the relief of ad interim injunction pending the suit.

Role/Power of Court

12. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रावधान के अनुप्रयोजन में न्यायालय की भूमिका, शक्तियां व दृष्टिकोण के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4602/2024 उनवान *Bloomberg Television Production vs Zee Entertainment Enterprises Limited* में

लगातार.....9

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला–दूदू

दिनांक 12.03.2024 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के तहत न्यायालय की भूमिका एवं शक्तियो (Role/Power of Court) को स्पष्ट करते हुए निम्न दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

The three-fold test of establishing (i) a prima facie case, (ii)balance of convenience and (iii) irreparable loss or harm, for the grant of interim relief, is well-established in the jurisprudence of this Court. This test is equally applicable to the grant of interim injunctions in defamation suits. However, this three-fold test must not be applied mechanically,3 to the detriment of the other party and in the case of injunctions against journalistic pieces, often to the detriment of the public. While granting interim relief, the court must provide detailed reasons and analyze how the three-fold test is satisfied. A cursory reproduction of the submissions and precedents before the court is not sufficient. The court must explain how the test is satisfied and how the precedents cited apply to the facts of the case.

13. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतो के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद,सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

14. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी एवं उत्तराधिकारी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा उल्लेख किये गये लिखावट ना ही रजिस्टर्ड है और ना ही प्रार्थी ने ऐसा को दस्तावेज पेश किया है जिसमे किसी भी न्यायालय ने प्रार्थी नानूलाल को रघुनाथ का गोदपुत्र माना है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 5 मे अंकित किया है कि बिना किसी विघ्न के उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज या सबुत प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा साबित हो। प्रार्थी

लगातार.....10

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

द्वारा महज सम्वत 1888 मिसल हकीयत बन्दोबस्ती के आधार पर वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे केवल ख0न0 213 का ही उल्लेख है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया। उक्त विवादग्रस्त रिकार्ड अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं प्रथम पर्चा भी सम्वत 2011 मे अप्रार्थीगण के नाम ही आया था। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर **"आर0आर0टी0 2015 (1) 633 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2014 मे माना है कि अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द नही किया जा सकता है।"** जबकि उक्त विवादग्रस्त आराजी मे भी अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं इसलिये प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है।

15. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक व उत्तराधिकारी आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अगर रिकार्डेड खातेदार को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो रिकार्डेड खातेदार को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड सकता है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने अर्थात प्रथम दृष्टया केस, अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण खातेदार के विरूद्व खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 633, आर0आर0टी0 2018(1) पेज 692, आर0आर0टी0 2009(11) पेज 1393 भी यहाँ अप्रार्थीगण के पक्ष में चस्पा होती है। उक्त सभी नजीरों के अवलोकन से प्रतिपादित होता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा को विधिसम्मत नही

लगातार..................11

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

माना है। अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/12/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू